रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2017/माघ 4, 1938
No. 02] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2017/MAGHA 4, 1938

IndiaCode

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2017

का.नि.आ. 2(अ).—निम्नलिखित कुछ प्रारूप नियम, जो छावनी (सूचनाओं का तामील का प्ररूप और रीति) नियम, 2016 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग – II, खंड - 4 तारीख 05 अगस्त, 2016 को छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के का.नि.आ. सं.10(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और उससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से उपर्युक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां जनता को 05 अगस्त, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और, केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (सूचनाओं का तामील का प्ररूप और रीति) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) 'अधिनियम' से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु, परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

3. सूचनाओं के प्ररूप- अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएँ, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में की जा सकेंगीं।

4. सूचनाओं को तामील करने की रीति – किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना निम्न प्रकार से तामील या प्रस्तुत की जा सकेगी –

(क) सूचना, ऐसे व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर ;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति मिल नहीं सकता है तो उसके अंतिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर सूचना को चिपका कर, यदि ऐसा स्थान छावनी के भीतर है तो, सूचना को उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या निविदत्त करके या उस भवन या भूमि के, यदि कोई है, जिससे यह संबन्धित है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवा कर।

5. धारा 316 से 321 के उपबंधों का लागू होना – अधिनियम की धारा 316 से 321 तक के उपबंध इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना को लागू होंगे।

IndiaCode

प्ररूप संख्या – 1

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 76 के अधीन लोक सूचना

धारा 76 की अपेक्षानुसार कर निर्धारण सूची तैयार करने पर उसकी सूचना (तारीख) को सम्यक रूप से दे दी गई थी। अब, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 76 के अपेक्षानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि मुख्य अधिशासी अधिकारी तारीख से आक्षेपों की सुनवाई प्रारम्भ करेगा। (सूचना के प्रकाशन की तारीख और सुनवाई की तारीख के बीच कम से कम तीस दिन का अंतर होना चाहिए)।

यह सूचना छावनी अधिनियम 2006 की धारा 319 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर लगाई जा रही है :-

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या.....
तारीख.....

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 2

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 76 के अधीन व्यक्तिगत सूचना

सेवा में,

.....

.....

विषय: निर्धारण सूची के पुनरीक्षण के संबंध में

महोदय/महोदया,

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 76 की अपेक्षानुसार आपको सूचना दी जाती है कि मुख्य अधिशासी अधिकारी ने एक नई कर निर्धारण सूची तैयार की है, जिसकी लोक सूचना पहले ही (तारीख)..... को प्रकाशित की जा चुकी है और आपकी संपत्ति जो के नाम से ज्ञात है, का निर्धारण रू. से बढ़ा कररू. प्रति वर्ष कर दिया गया है। पुनरीक्षित निर्धारण और मूल्यांकन पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा को विचार किया जाएगा।

2. यदि उपरोक्त निर्धारण के बारे में आपका कोई आक्षेप है तो आप तारीख से पूर्व, यह कथन करते हुए कि निर्धारण के बारे में आपका विवाद क्या है, लिखित में आक्षेप करें।

3. मुख्य अधिशासी अधिकारी (तारीख)..... के पश्चात आपसे प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार नहीं करेंगे।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या.....
तारीख.....

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

निर्धारण/मूल्यांकन के ब्योरे

1.....
2.....
3.....

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 3

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

महोदय/महोदया,

निर्धारण सूची को निम्नलिखित रीति में और नीचे विनिर्दिष्ट आधारों पर संशोधित करना आवश्यक हो गया है:-

(क) नाम से ज्ञात संपत्ति के संबंध में श्री/श्रीमति/कुमारी..... को नाम जोड़ कर/लोप करके, जिसका नाम जोड़ा जाना या लोप किया जाना चाहिए था।

(ख)के नाम से ज्ञात संपत्ति जोड़ कर/लोप करके जिसका नाम जोड़ा जाना या लोप किया जाना चाहिए था।

(ग) के नाम से ज्ञात संपत्ति के निर्धारण में परिवर्तन करके जिसका मूल्यांकन या निर्धारण प्रशासन या निर्धारक के कपट, संयोग या भूल के कारण गलत हो गया था।

(घ) पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निर्धारण करने पर नाम से ज्ञात संपत्ति का मूल्य अंतिम निर्धारण के बाद से रू0 से बढ़कर रू0 हो गया है।

(ङ)के नाम से ज्ञात संपत्ति के संबंध में, अधिभोगी का नाम बदल कर क्योंकि कर अधिभोगी द्वारा संदेय है।

यदि उपरोक्त संशोधनों के बारे में आपको कोई आपत्ति है तो अपना आक्षेप, मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए।

(कथित समय सीमा, सूचना की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होनी चाहिए)

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या.....
तारीख.....

अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 4

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 82 के अधीन सूचना

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

.....

महोदय/महोदया,

मैं/हम छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 82 की अपेक्षानुसार सूचना देता/देती हूं/देते हैं कि मैंने/हमने छावनी बोर्ड संख्या तारीख के आपके पत्र संख्या तारीख द्वारा दी गयी मंजूरी के अनुसरण में, तारीख को गली/सड़क पर स्थित प्लॉट संख्या पर भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है/अधिभोग ग्रहण कर लिया है।

(कथित समय सीमा भवन के पूरा होने या अधिभोग की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी पहले हो)

तारीख.....

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पता

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 5

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 86 के अधीन सूचना

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

.....छावनी बोर्ड

विषय : के नाम से ज्ञात संपत्ति को खाली करने की सूचना

महोदय/महोदया,

मैं/हम छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 86 के अधीन सूचना देती/देता हूं/देते हैं कि उल्लिखित संपत्ति* (संपत्ति का भाग) खाली है और तारीख से उससे कोई किराया (भाटक) नहीं मिल रहा है।

IndiaCode

कृपया इसे नोट करें।

तारीख.....

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पता

(*यहाँ सम्पत्ति के खाली भाग की विशिष्टियों का उल्लेख करें)

प्ररूप संख्या - 6

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 88 के अधीन सूचना

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

.....छावनी बोर्ड

विषय : के नाम से ज्ञात संपत्ति का पुनः अधिभोग

महोदय,

मैं/हम छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 88 के अधीन सूचना देती/देता हूं/देते हैं कि उल्लिखित संपत्ति*/(सम्पत्ति के भाग) का नाम तारीख 20 से पुनः अधिभोग में से लिया गया है।

(कथित समय सीमा, सम्पत्ति के पुन: अधिभोग से 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए)

तारीख

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पता

(*यहाँ सम्पत्ति के भाग का उल्लेख करें)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 7

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 91 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के रूप में देय रू0 की रकम अदा न करने के कारण नीचे सूचीबद्ध माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) का तारीख को आपसे अभिग्रहण कर लिया गया था।

और उक्त माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) पर चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के रूप में रू. जमा करने में असफल रहे हैं।

अत:, अब मैं, अर्थात छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 91 की उपधारा (3) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि नीचे सूचीबद्ध माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) की बाबत चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के रूप में रू. की रकम वसूल करने के लिए उक्त माल माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) को तारीख को नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

यह भी ध्यान रखें कि रू. की रकम के अतिरिक्त उक्त माल माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) के अभिग्रहण, अभिरक्षा या बेचने के कारण हुआ व्यय भी आपसे वसूल किया जाएगा, यदि उक्त रकम और व्यय, नीलामी द्वारा विक्रय के आरंभ से पूर्व आपके द्वारा अदा नहीं किया जाता है।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

भवदीय,

हस्ताक्षर.....
नाम
पता

माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) की सूची

1
2
3
4

प्ररूप संख्या - 8

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 116 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके अधिभोग में नाम से ज्ञात इमारत/भूमि के कर दायित्व/निर्धारित की जाने वाली रकम/वार्षिक मूल्य को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जानकारी लेना आवश्यक हो गया है।

अत: अब मैं अर्थात छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी आपसे मांग करता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर नाम से ज्ञात सम्पत्ति के बाबत दूसरी ओर दिये गए प्ररूप में आवश्यक सूचना दें। 15 दिन के अंदर सूचना देने में असफल रहने या ऐसी सूचना देने की दशा में, जो आपके सर्वोतम ज्ञान या विश्वास के अनुसार सही नहीं है, आप उक्त अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) के अधीन जुर्माने से, जिसे 5000 रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होंगे और इमारत/भूमि का कर , दायित्व/निर्धारित की जाने वाली रकम/वार्षिक मूल्य उतना विनिश्चित किया जाएगा, जितना मुख्य अधिशासी अधिकारी उचित समझता है। इस प्रकार किया गया निर्धारण अंतिम होगा।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

भवदीय,

हस्ताक्षर.....
नाम
पता

IndiaCode

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 116 के अधीन दी जाने वाली जानकारी

1. मकान संख्या, सड़क और परिक्षेत्र
2. स्वामी का नाम और पता
3. उत्तराधिकारी/क्रय की तारीख
4. सम्पत्ति के लिए संदत्त की गयी कीमत
5. (क) कच्चा या पक्का
 (ख) कवर्ड क्षेत्र
6. मंजिलों की संख्या
7. प्रत्येक मंजिल में कमरों की संख्या, जिसके अंतर्गत भंडार, रसोई और स्नानग्रह भी हैं और उनकी दिशाएँ।
8. (क) आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए
 (ख) इमारत का उपयोग होटल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल एवं कारख़ाना चलाने के लिए किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कृपया पूरे ब्योरे दीजिए।

9. यदि कोई भाग किराए पर दिया गया है तो किरायेदारों के नाम, प्रत्येक को किराए पर दिया गया आवास और मासिक किराया।

10. क्या मकान में
 (क) बिजली लगी है।
 (ख) घरेलू पानी कनेक्शन है।
 (ग) स्वच्छ शौचालय है।

11. क्या मकान को राज्य सरकार के सम्पत्ति कर के लिए निर्धारण किया गया है। यदि हाँ तो, उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी द्वारा नियत निर्धारण की रकम कितनी है और निर्धारण किस तारीख से लागू है।

स्वामी/अधिभोगी/किराएदार के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 9

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 136 के खंड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि :

*(1) आपकी इमारत/भूमि #..... की हौदी न्यूसेंस कर रही है और उसे बंद रखना आवश्यक है।

*(2) आपकी इमारत/भूमि में गंदगी के इक्कट्ठा करने के पात्र को साफ हालत में नहीं रखा गया है आपकी इमारत/भूमि में मल इक्कट्ठा हो रहा है।

*(3) आपकी इमारत / भूमि पर प्राइवेट शौचलय /मूत्रालय/हौदी/स्नानघर से पानी या किसी दुर्गंधयुक्त पदार्थ का रिसना या बहना पड़ोसियों और गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस पैदा कर रहा है।

*(4) आपकी इमारत/भूमि #..... में कचरा या दुर्गंधयुक्त पदार्थ इक्कठा होने दिया गया है, इसके नीचे या उसमें रहने दिया गया है।

अत:, अब मैं, अर्थात छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम 2006 की धारा 136 के खंड (क) के उपखंड** के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर उस हौदी को बंद कर दे/गंदगी को इक्कठा करने के पात्र को साफ हालत में रखें/इक्कठा हो गए मल को हटा दें/ नित्य के गंदे पानी को सार्वजनिक स्थान में बहना रोक दें या पक्की हौदी की व्यवस्था करें। उचित रूप से ढकने की व्यवस्था करें/मरम्मत करें/ कचरे को हटाएँ/निर्मल करें।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

(*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।)
#भवन या भूमि के ब्योरे दें।
**यहां धारा 136 के खंड (क) की संबन्धित उपधारा का उल्लेख करें।

प्ररूप संख्या - 10

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 136 के खंड (ख) खंड (ग) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि :

*(1) आपकी इमारत/भूमि # से सार्वजनिक नाली में जाने वाली नाली का बनाना या उसमे परिवर्तन करना, रोकना आवश्यक है।

*(2) आपके नियंत्रण में की नाली साफ नहीं है/नाली की मरम्मत आवश्यक है/नाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए/नाली को अच्छी हालत में रखना आवश्यक है।

अत: अब मैं, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 कि धारा 136 के खंड* (ख)/खंड* (ग) के अनुसरण में सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अंदर सार्वजनिक नाली में जाने वाली, उक्त नाली को बनाने या उसके परिवर्तन करने रोकने/साफ करने/निर्मल करने/इसकी मरम्मत करने/उसे अच्छी हालत रखने की सूचना देता हूं।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

#भवन या भूमि के ब्योरे दें।
*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 11

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 137 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

..... छावनी बोर्ड के स्वास्थय अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी की राय में आपकी नाम से ज्ञात संपत्ति में स्थित कुआं/तालाब/जलाशय/सिस्टर्न/पात्र जिसमें पानी जमा किया जाता है/इक्कठा होता है, न्यूसेंस हो रहा है और मच्छरों के प्रजनन का स्थान होना संभव है।

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से छावनी अधिनियम 2006 की धारा 137 की उपधारा (1) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर उक्त कुआं/तालाब/जलाशय/सिस्टर्न/पात्र को भर दें/ढक दें।

(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख)

(#संपत्ति का ब्यौरा)

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 12

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 138 के खंड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

इस और ध्यान आकर्षित हुआ है कि आपके स्वामित्वाधीन/अधिभोगाधीन भूमि/इमारत/मकान में, जो के रूप में ज्ञात है शौचालय/मूत्रालय/हौदी/धूलिभांड/गंदगी, मल या कचरे के पात्र/ अतिरिक्त शौचालय/मूत्रालय/हौदी का प्रावधान किया जाना चाहिए।

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम 2006 की धारा 138 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि आपके उक्त स्वामित्वाधीन भूमि/इमारत/मकान में निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किया जाए:

.....

..... (यहां शौचालय/मूत्रालय/हौदी आदि की रीति को विनिर्दिष्ट करें)

(# संपत्ति का ब्यौरा)

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 13

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 139 के अधीन सूचना

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

.....छावनी बोर्ड

.....

महोदय/महोदया,

मैं (यहां स्थापना का नाम दें) के नियोजक की हैसियत से छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 139 के अधीन आपको सूचना देता हूँ कि मैं छावनी में स्थित उक्त स्थापना (स्थापना का नाम) में व्यक्तियों को तारीख से कर्मचारियों के रूप में नियोजित कर रहा हूँ।

स्थान

तारीख

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पता

प्ररूप संख्या - 14

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 140 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि :

*(1) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय, इसके बाद सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिए;

IndiaCode

*(2) आप जो प्राइवेट शौचालय / मूत्रालय बना रहे हैं/मरम्मत करा रहे हैं वह नहीं बनाया जाना चाहिए/ उसकी मरम्मत नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि मुख्य अधिशासी अधिकारी या मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (यहां बोर्ड के निरीक्षण पदाधिकारी के नाम का उल्लेख करें) उसका निरीक्षण नहीं कर लेता और प्रमाणित नहीं कर देता कि उक्त शौचालय / मूत्रालय छावनी बोर्ड द्वारा तारीख 20..... को अनुमोदित आदर्श प्लान के अनुरूप है। (जिसकी प्रतियाँ छावनी बोर्ड के कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं)

*(3) आपके स्वामित्वाधीन/ नियंत्रणाधीन प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय सार्वजनिक न्यूसेंस है।

*(4) आपके स्वामित्वाधीन/ नियंत्रणाधीन शौचालय

(क) वहाँ से जाने वाले व्यक्तियों/पड़ोस में रहने वाले निवासियों को नज़र आता है।

(ख) नीचे विनिर्दिष्ट रीति से साफ रखने की आवश्यकता है।

*(5) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन नाली ढकी हुई नहीं है और उसे निम्नलिखित/विनिर्दिष्ट रीति से ढकने की आवश्यकता है।

(यहाँ ढकने की उपरोक्त रीति विनिर्दिष्ट करें)

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम 2006 की धारा 140 के खंड $.....के अनुसरण में आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन भूमि/इमारत** में प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय/नाली

इसके पश्चात विनिर्दिष्ट रीति से बनाई जाए/मरम्मत की जाए/हटा दी जाए/बंद कर दी जाए/साफ कर दी जाए/ढक दी जाए।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

भवदीय,

हस्ताक्षर.....
नाम
पता

(* जो आवश्यक न हो उसे काट दें।
$ यहाँ खंड विनिर्दिष्ट करें
** इमारत या भूमि का विवरण दें।)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 15

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 142 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर छावनी बोर्ड, की यह राय है की नीचे सारणी में उपदर्शित इमारत (इमारतों) के निवासियों/पड़ोसी/के बीमार होने का जोखिम है/लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

और, बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त इमारत/इमारतों को तत्काल हटाना आवश्यक है।

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 142 की उपधारा (3) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ, कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अंदर उक्त इमारत/इमारतों को हटा दिया जाए।

(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख)

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख.....

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

सारणी

(यहाँ संबन्धित इमारत (इमारतों) का विवरण दीजिए)।

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 16

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय में इमारत/इमारतों या इसके भाग, जो आवासगृह के रूप में काम में लाई जा रही हैं, इतनी अतिसंकुलित है कि उसमे रहने वालों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है।

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से छावनी अधिनियम 2006 की धारा 143 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि उक्त इमारत से*..... तक उसके निवासियों/किराएदारों/अन्य निवासियों की संख्या को घटा कर उस अतिसंकुलन को दूर कर दें। उपर्युक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर आप उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अभियोजन के दायी होंगे।

(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख)

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख.....

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*इसके पश्चात उन रहने वाले निवासियों/किराएदारों/अन्य व्यक्तियों के ब्यौरे दे जिनकी संख्या में कमी की जानी है)

प्ररूप संख्या - 17

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड की यह राय है कि स्थित आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इमारत/इमारतें मरम्मत लायक न होने/जर्जर/अस्वास्थ्यकर दशा में है और उसमें, निम्नलिखित मरम्मत/परिवर्तन करने की आवश्यकता है :

(1)
(2)
(3)
(4)

अत:, अब मैं,छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 144 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर उक्त मरम्मत / परिवर्तन कर दिये जाएँ।

(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख)

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 18

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके स्वामित्व / अधिभोग के अधीन भूमि/इमारत गंदी/अस्वास्थ्यकर हालत में है। * पड़ोस में रहने वालों के लिए न्यूसेंस है/ * में नागफनी/मोथा घास/हानिकर वनस्पति की अधिकता है ।

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 कि धारा 145 कि उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर आपके स्वामित्व/अधिभोगी के अधीन भूमि/इमारत/इमारतों की सफाई करें, अंदर से/बाहर से चूने की सफेदी करें/साफ और समुचित हालत में रखें।

IndiaCode

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

(* जो आवश्यक न हो उसे काट दें।)

प्ररूप संख्या - 19

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 147 के अधीन सूचना

सूचना

इस इमारत (यहां इमारत के ब्यौरे दें) के हर स्वामी या अधिभोगी को सूचित किया जाता है कि उक्त पूरी इमारत या उसका भाग मानव आवास के लिए अनुपयुक्त है। अत: जब तक छावनी बोर्ड उसे ऐसे प्रयोग के लिए उसे उपयुक्त घोषित नहीं करता तब तक आप उसको निवास के लिए काम में नहीं लाएँगे।

(प्राधिकरणः छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख.....)

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 20
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 148 के अधीन सूचना

IndiaCode

सेवा में,
.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि आपके स्वामित्व या अधिभोग के अधीन उद्भित भूमि/इमारत में अनिष्टकर/ झाड़-झंखाड़ हो गया है जो पड़ोस के निवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर/अरूचिकर है;

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 145 कि उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि उक्त भूमि/भवन से उक्त झाड़– झंखाड़ को दिनों के अंदर साफ कर दें और हटा दें।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख..... भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 21

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 150 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके स्वामित्व/प्रभार के अधीन कब्रिस्तान/शमशान के बारे में, की दशा, प्रबंध उपस्थिति के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। (यहां अपेक्षित जानकारी विनिर्दिष्ट करें)

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी कि हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 150 अनुसरण में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर उक्त कब्रिस्तान/शमशान के बारे में अपेक्षित जानकारी दें।

IndiaCode

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख.....

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 22

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 158 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

चिकित्सीय व्यवसायी श्री/श्रीमति ने यह प्रमाणित किया है कि संक्रामक/सांसर्गिक (रोग का नाम) रोग के फैलने का कारण आपके द्वारा छावनी बोर्ड में दूध के प्रदाय का माना जा सकता है।

अत: अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 158 के अनुसरण में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर मुझे अपने सभी ग्राहकों के नाम और पतों की विस्तृत और पूरी सूची भेज दें जिससे कि उन व्यक्तियों का, जिन्हें आपने दूध बेचा है, पता लगाना संभव हो सके।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख..... भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 23

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 159 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि, संक्रामक/सांसर्गिक रोग का फैलना निर्वादित करने की दृष्टि से (रोग का नाम) आपके ग्राहकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है;

अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 कि धारा 159 अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अंदर स्वास्थ्य अधिकारी को,

छावनी के अंदर सभी ग्राहकों के जिनके कपड़े और अन्य चीज़ें आप धोते हैं या इस सूचना की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छ: सप्ताहों के दौरान धोये हैं, नाम और पते की विस्तृत और पूरी सूची दी जाए।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख..... भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 24

छावनी अधिनियम. 2006 (2006 का 41) की धारा 162 के अधीन सूचना

IndiaCode

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि छावनी में,

*(क) आपकी डेरी से प्रदाय किए गए दूध के उपभोग से

*(ख) आपके द्वारा कपड़ों या अन्य चीजों की धुलाई/कपड़ों या चीजों की (स्थान का नाम) पर धुलाई के काम में लाई गई प्रक्रिया से

संक्रामक या सांसर्गिक रोग पैदा हुआ है/पैदा होना संभव है।

अत:, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 162 के खंड..... के अनुसरण में,छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से निर्देश देता हूँ कि, जब तक आगे सूचना न दी जाए

*(क) आपकी डेरी से किसी व्यक्ति को दूध का प्रदाय नहीं किया जाना चाहिए।

*(ख) आपके द्वारा (स्थान के नाम) पर इस प्रयोजन के लिए अपनाई गयी रीति में अर्थात्कपड़ों/चीजों की धुलाई नहीं की जानी चाहिए/कपड़ों/चीजों की धुलाई की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए।

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख..... भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

(*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 25

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 168 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि संक्रामक/सांसर्गिक रोग फैलने के निवारण/रोकथाम के लिए आपकी इमारत/इमारत के किसी भाग की सफाई और विसंक्रामण/ इमारत के फर्श/इमारत की चीजों को हटाना आवश्यक है;

अतः मैं, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी होने की हैसियत से आपको छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 168 के अनुसरण में इस सूचना की प्राप्ति के दिन की अवधि के अंदर नीचे विनिर्दिष्ट इमारत/इमारत के भाग की सफाई/विसंक्रामण करने/भवन के फर्श/ भवन की चीजों को हटाने की सूचना देता हूं।

---------- (यहाँ ब्यौरा दीजिए)

(प्राधिकरण : छावनी बोर्ड संकल्प संख्या ---------- दिनांक ----------)

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या ----------
दिनांक----------

मुख्य अधिशासी अधिकारी
----------छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 26

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 169 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि संक्रामक/सांसर्गिक रोग..... फैलने के निवारण/रोकथाम के लिए में स्थित आपके स्वामित्व वाले सायबान/झोपड़ी * और उसकी सामग्री को नष्ट किया जाना आवश्यक है;

अतः, मैं, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी होने की हैसियत से आपको छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 169 के अनुसरण में सूचना देता हूं कि आप इस सूचना की प्राप्ति के **..... घंटे/दिन की अवधि के अंदर पूर्वोक्त *सायबान/झोपड़ीऔर उसकी सामग्री को नष्ट कर दें।

(प्राधिकरण : छावनी बोर्ड संकल्प संख्या ---------- तारीख ----------)

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय — मुख्य अधिशासी अधिकारी

संख्या ---------- — छावनी बोर्ड ----------

तारीख --------- — (बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 27

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 169 की उप-धारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, मेरा समाधान हो गया है कि *संक्रामक/सांसर्गिक रोग फैलना निवारित करने के प्रयोजन के लिए में स्थित, आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली सायबान/झोपड़ी* को तत्काल नष्ट करना आवश्यक है;

अतः, अब, मैं,छावनी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 169 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आपको सूचित करता हूँ कि आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली उक्त सायबान/झोपड़ी* तुरंत

नष्ट कर दी जाए। उक्त सायबान/झोपड़ी* को नष्ट करने में आपके असफल रहने की दशा में, इसे बोर्ड इस सूचना की प्राप्ति के ---------- ** घंटो के अंदर नष्ट कर देगा।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.----------
दिनांक ----------

अध्यक्ष
छावनी बोर्ड ----------
(बोर्ड की मुहर)

(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।)

(**यहाँ अवधि का उल्लेख करें, जो कि 2 घंटे से कम न हो)

प्ररूप संख्या - 28

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 176 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना

IndiaCode

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी की राय है कि..... में स्थित आपके स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कूप/तालाब (अन्य स्थान) के पानी को यदि पीने के काम में लाया गया तो.....रोग फैलने का खतरा पैदा होगा/फैल जाएगा।

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 176 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं कि आप इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से* *घंटे/दिन के अन्दर, उक्त कूप/तालाब/..... (अन्य स्थान) से जनता को पानी का प्रयोग करने/रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं।

(यहां उठाए जाने वाले उपायों का विवरण दें)।

(1)
(2)

(3)

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

(*जो लागू न हो उसे काट दें।)

प्ररूप संख्या - 29
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)
की धारा 177 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

IndiaCode

महोदय/महोदया,

यह रिपोर्ट मिली हैं कि की मृत्यु संक्रामक/सांसर्गिक रोग से हो गयी है।

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 177 के खण्ड (क)/खण्ड (ख) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं :

*(क) उसे शव गृह ले जाएं।

*(ख) शव को शवगृह पर, *दफनाए जाने/जलाए जाने/ले जाने के प्रयोजन के लिए, शव को हटाएं।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।)

प्ररूप संख्या - 30

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 182 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि आप संक्रामक/सांसर्गिक रोग से पीडित हैं:

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्डके अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 182 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं कि आप (तारीख) को बजे (समय) चिकित्सा परीक्षा के लिए हाजिर हों। आप, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अस्पताल/औषधालय से नहीं जाएंगे।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

(मुहर)

स्वास्थ्य अधिकारी/

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

..... अस्पताल

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 31

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 190 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके स्वामित्व/नियंत्रणाधीनस्थित लोक जल प्रदाय के स्रोत, (कूप आदि का नाम) जिनका पानी पीने के प्रयोजनों के काम में आता है:-

*(क) अच्छी हालत में नहीं हैं/से गाद/कचरा/सड़ी गली पत्तियां आदि की सफाई नहीं की गई हैं,

*(ख) को नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संदूषण से बचाए रखा जाना चाहिए:-

.....

*(ग) पानी पीने के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त है,

अतः, अब मैं,छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 190 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं:

*(क) पूर्वोक्त *कूप/जल प्रदाय को अच्छी हालत में बनाए रखें/में से गाद/कचरा/सड़ी गली पत्तियों को साफ करे।

*(ख) पूर्वोक्त कूप/जल प्रदाय को प्रदूषित होने से ऐसी रीति से बचाए रखें जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं :

.....

(प्रदूषण से बचाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली रीति यहां विनिर्दिष्ट करें)।

*(ग) लोक साधारण की उस कूप/जल प्रदाय के पानी का उपयोग करने के लिए सूचना की प्राप्ति के दिन के अन्दर नीचे विनिर्दिष्ट रीति से पहुंच निवारित करने के उपाय करें।

.....

(यहां निवारित करने की रीति विनिर्दिष्ट करें)

भवदीय

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।)

प्ररूप संख्या - 32

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 192 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह प्रतीत होता है कि, आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली इमारत/भूमि में शुद्ध जल की समुचित आपूर्ति नहीं है,

अतः, अब मैं,छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 192 के अनुसरण में आपको उस इमारत/भूमि के स्वामी/अधिभोगी के रूप में सूचना देता हूं कि इमारत/भूमि में नीचे विनिर्दिष्ट आकार और किस्म की संचार पाइप और उक्त भवन के दखलकार व्यक्तियों/उक्त भूमि में नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए (यहां लोक जल प्रदाय का स्रोत विनिर्दिष्ट करें) से जल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

.....

(यहां संचार पाइपों के आकार और किस्मों की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें)।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 33

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 195 के खण्ड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,

*.....अधिकारी

.....छावनी बोर्ड

मैं, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड (क) के अनुसरण में भूमि/भवन (भूमि/भवन का विवरण) का स्वामी/अधिभोगी/पट्टेदार होने की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड (ख) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि, पाइपों/नालों/अन्य मरम्मत कार्य न करने के कारण उक्त भूमि/भवन में जल की बरबादी हो रही हैं।

कृपया इस ओर ध्यान दें।

IndiaCode

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम

पता

स्थान:

तारीख:

(*अधिकारी का पदनाम)

प्ररूप संख्या - 34

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 195 के खण्ड (ग) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपने, -

(क) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/इमारत की बाब्त जलकर/जलदर/प्रभार**..... को अदा करने में उपेक्षा की है, और आपको बिल दिए जाने की तारीख से दिन से अधिक की अवधि बीत गई हैं,

(ख) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड (ख) के अधीन यथा प्राधिकृत परीक्षा/जांच करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी को तारीख को अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि पर/इमारत में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है/निवारित किया,

(ग) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/इमारत में जानबूझकर/उपेक्षा से जल का दुरूपयोग/अपव्यय किया है।

.....

(घ) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/इमारत में जल संकर्म से जल प्रवाहित करने वाले मीटर/पाइप/टोंटी को जानबूझकर/उपेक्षा से क्षतिग्रस्त किया है/नुकसान पहुंचाया हैं,

(ड) आपके स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/इमारत के जल प्रदाय का कनेक्शन जिन नलों, टोंटियों, फिटिंगों से है, मरम्मत के लायक नहीं है और उसके कारण जल की बरबादी हो रही है।

**प्रभारों की किस्म विनिर्दिष्ट करें।

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड (ग) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि इस सूचना की

प्राप्ति के दिन की अवधि के अन्दर पूर्वोक्त भूमि/इमारत के जल प्रदाय को बन्द कर दिया जाएगा/काट दिया जाएगा।

भवदीय

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 35
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)
की धारा 242 के अधीन सूचना

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
.....
.....
.....

IndiaCode

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 242 के अनुसरण में, आपको सूचित किया जाता है कि, मैंने/हमने, बोर्ड के, संकल्प सं तारीख /आपके पत्र सं तारीख द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार नामक इमारत को बनाने/पुनः बनाने का काम पूरा कर लिया है।

कृपया इसे नोट कर लें।

(यह सूचना पक्षकार द्वारा इमारत को बनाने/पुनः बनाने के 30 दिन के अन्दर दी जानी चाहिए)

भवदीय,

हस्ताक्षर.....
नाम
पता

स्थान:
तारीख:

प्ररूप संख्या - 36

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह विचार किया गया है कि, आपके स्वामित्व में/दखल में/पट्टे पर लिए गए, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट इमारत का (जिसे इसके पश्चात् उक्त इमारत कहा गया है) बनाया जाना/पुनःबनाया जाना छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 247 की उपधारा (1) के अधीन अपराध है,

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 248 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचना देता हूं कि उक्त इमारत का बनाया जाना/पुनः बनाया गया भाग ढ़हा दिया जाय और उक्त भवन को उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रीति में पुनः बनाया जाए।

अनुसूची

इमारत का नाम	इमारत का अवस्थान	अधिनियम की धारा 247 के उल्लंघन में स्वामी/ दखलकार/पट्टेदार द्वारा प्रारम्भ किए गए संनिर्माण के ब्यौरे	इमारत के ढ़हाने और पुनः बनाए जाने के बारे में विनिर्देशन
(1)	(2)	(3)	(4)

(प्राधिकरणः छावनी बोर्ड के संकल्प सं तारीख जहां स्थान सिविल क्षेत्र से बाहर है)

भवदीय,

.....

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

प्ररूप संख्या - 37
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)
की धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी ने, अपने आदेश सं तारीख द्वारा, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए बोर्ड के उस आदेश को निलंबित कर दिया है जिसके द्वारा बोर्ड ने नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इमारत (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त इमारत कहा गया है) को* बनाने/पुनः बनाने की मंजूरी दी थीः

और, उक्त इमारत के उक्त* बनाए जाने/पुनः/बनाए जाने को रोकना आवश्यक है,

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 248 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको उक्त इमारत को* बनाया जाने/पुनः बनाए जाने को रोकने/उक्त इमारत को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) के विनिर्दिष्ट रीति में ढ़हाने/परिवर्तन करने/पुनः परिनर्माण करने की सूचना देता हूं।
* जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।

अनुसूची

इमारत का नाम	इमारत का अवस्थान	स्वामी/ दखलकार पट्टेदार द्वारा प्रारम्भ किए गए संनिर्माण के ब्यौरे	कमान के मुख्य-समादेशक अधिकारी द्वारा सुझाए गए अपांतरणों के अनुसार यह रीति जिसमें इमारत को ढाना/ परिवर्तन करना/पुनः बनाया जाना चाहिए।
(1)	(2)	(3)	(4)

.....
.....

भवदीय,

.....
छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी
..... छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 38

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 252 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं को जोड़ा है/सनिर्माण किया है,

(1)

(2)

(3) (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें)

(4)

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 252 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि आपको सूचना प्राप्ति के दिनों के अन्दर पूर्वोक्त जोड़े गए भाग/संरचना/अधिक्रमण को ढा देना चाहिए।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*गली/नहर/नाले/कुएं/तालाब में प्रक्षेपित है/का अतिक्रमण करती है।

**जो आवश्यक न हो, उसे काट दें)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 39

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 253 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपने अधोहस्ताक्षरी की लिखित अनुज्ञा के बिना, स्थान में पर (लोक मलनाल, नाली पुलिया, जल सरपी या जल नल रेखा का नाम) कोई सरंचना/इमारत बना ली/पुनः बना ली हैः

अतः, अब मैं.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 253 के अनुसरण में आपको इस सूचना प्राप्ति केदिन के अन्दर उसे गिराने की सूचना देता हूं। ऐसा न करने पर इसे बोर्ड द्वारा आपके जोखिम और खर्चे पर हटा दिया जाएगा।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 40

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 254 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि-

*(क) आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इमारत भूमि ने बरसाती पानी के एकत्रण और बहाने के लिए नालियां और पाइप अच्छी हालत में नहीं हैं,

*(ख) आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इमारत /भूमि और नाली/मलनाल के (नाली/मलनाल को विनिर्दिष्ट करें) बीच कोई समुचित कनेक्शन /संचार साधन नहीं हैं।

अतः, अब मैं.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 254 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि उक्त नालियां और पाइप अच्छी हालत में बनांए रखी जानी चाहिए और उक्त इमारत/भूमि से पानी का निकास कारगर रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य, आपके द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर किया जाना चाहिएः

(1)

(2)

(3)

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें)

प्ररूप संख्या - 41

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 261 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में यह बात लाई है कि-

*(क) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली भूमि में सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ अनुपयुक्त/असुन्दर/याक्षेप योग्य हैं।

*(ख) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री वर्णन आकार की सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ का संनिर्माण करना आवश्यक है।

*(ग) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली भूमि पर, सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ को अच्छी हालत में बनाए रखना आवश्यक है।

अतः, अब मैं,मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 261 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आपको सूचित करता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर:

*(क) पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ हटा दी जाए।

(ख) पूर्वोक्त भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री वर्णन/आकार की सीमा दीवार/झाडबन्दी/ बाड़ का संनिर्माण किया जाए।

.....

(यहां सामग्री, वर्णन या आकार के बारे में विनिर्देश दें)।

*(ग) पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ को अच्छी हालत में बनाए रखा जाए।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 42

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 262 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि, आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को (यहां कारण बताएं) कारण से गिराना/छांटना/शाखाओं का कतरना आवश्यक है,

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 262 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर आपकी भूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) को गिरा दिया/छांट दिया/शाखाओं को कतर दिया जाना चाहिए।

(प्राधिकारः- छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख)

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 43

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 264 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी की राय है कि, आपके स्वामित्व/ अधिभोग वाली स्थित खदान का खनन/पत्थर/मिट्टी का हटाया जाना (यहां मृदा से हटाई जाने वाली अन्य सामग्री विनिर्दिष्ट करें)। पडोस में निवासी/जाने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक है/न्यूसेंस है/न्यूसेंस हो जाना संभाव्य हैः

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 264 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, आपके स्वामित्व/ अधिभोग वाली स्थित भूमि में खतरे का निवारण करने/पैदा हुए न्यूसेंस/संभाव्यतः पैदा हो नाजे वाले न्यूसेंस को दूर करने के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिएः-

.....

(यहां उठाए जाने वाले कदमों को यहां विनिर्दिष्ट करें)

.....

.....

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

प्ररूप संख्या - 44

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 280 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि, बोर्ड द्वारा मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन के प्रयोजन के लिए आपके स्वामित्व/अधिभोग वाला नामक स्थान न्यूसेंस है/से यह संभाव्यतः है कि वह जीवन/स्वास्थ्य/सम्पत्ति के लिए खतरा हो जाएगा।

अतः, अब मैं.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 280 के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि पूर्वोक्त स्थान का उपयोग से तारीख से बन्द कर दें/इसे किसी न्यूसेंस/खतरे से मुक्त करने के लिए उसमें निम्नलिखित परिवर्तन/अभिवृत्तियां/सुधार करें।

.....

(यहां किए जाने वाले परिवर्तनों, अभिवृत्तियों और सुधार के ब्यौरे दें।

(प्राधिकारः छावनी परिषद के संकल्प सं तारीख)

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 45

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 292 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड ने तारीख की लोक सूचना द्वारा यह निदेश दिया था कि छावनी के क्षेत्र में झोंपड़ियों/इमारतों की छतें और बाहरी दीवारें, बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना बनाई नहीं जाएंगी या घास, चटाईयां, पत्तियों या अन्य जलनशील सामग्रियों से न तो बनाई जाए और न नवीकृत की जाएं, और

अपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी झोंपड़ी/इमारत की छत/दीवार (दीवारों) का नवीकरण घास, चटाईयां, पत्तियों या अन्य जलनशील सामग्री से किया है,

अतः, अब मैं, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 292 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, आपको सूचना देता हूं कि, आप इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर अपनी झोंपड़ी/इमारत की छतों/दीवारों को हटा दें।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 46

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 292 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया

आपकी झोंपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारें/छत (छतें), मुख्य अधिशासी अधिकारी की मंजूरी से/के बिना घास, चटाईयों, पत्तों जलनशील पदार्थों से बनाई गई हैं,

और मुख्य अधिशासी अधिकारी की यह राय है कि आपकी झोंपड़ी/इमारत की बाहरी (दीवारों)/छत (छतों) को जलनशील पदार्थों से बना होने के कारण हटाया जाना चाहिए,

अतः, अब मैं.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 292 की उपधारा (2) के अनुसरण में, सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के अन्दर, आपको झोंपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारें/छतें हटा दी जाए।

आपको, और यह सूचना भी दी जाती है कि, उक्त सामग्री की मूल लागत के रूप में रू. का प्रतिकर तय किया गया है और वहदिन के अन्दर बोर्ड के कार्यालय से लिया जा सकता है।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*जो भी आवश्यक न हो, उसे काट दें)

**यहां अनुपालन के लिए उचित अवधि लिखें)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 47

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 297 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड की यह राय है कि, आपके स्वामित्वाधीनभागतः/ स्वामित्वाधीन इमारत/दीवार/कुआं/तालाब/हौज/जलाशय/गड्ढा/किनारा/वृक्ष (जो इससे उपाबद्ध सारणी में वर्णित है) जर्जर हालत में है और पड़ोस में होकर जाने वाले/काम करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस खतरनाक है।

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 297 के अनुसरण में, सूचना देता हूं कि,*** को/के इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के अन्दर, हटाया जाए/उसकी मरम्मत संरक्षा की जाए, ऐसा करने में चूक करने की दशा में उक्त कार्य, छावनी बोर्ड द्वारा आपके जोखिम और खर्चे पर किया जाएगा।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*किराएदार की दशा में "आपके" शब्दों का लोप किया जाएगा।

**जो लागू न हो, उसे काट दें।

***यहां स्वामी/किराएदार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई विनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप संख्या - 48

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 298 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि इमारत सं./खाली प्लाट सं. निष्प्रयोग/विवादग्रस्त स्वामित्व/..... के कारण अधिभोग में नहीं है, और निकम्में/विच्छृंखल व्यक्ति/व्यक्तियों के या ऐसे व्यक्तियों के जिनके जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं हैं/जो अपनी बावत समाधानप्रद लेखा जोखा नहीं दे सकते हैं/इकट्ठा होने का स्थान हो गई है/जुए के लिये, अनैतिक प्रयोजनों के लिये या (अन्य प्रयोजन) के लिये काम में लाई जा रही है और या उसके कारण न्यूसेंस होना संभाव्य है।

अतः, अब मैं.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 298 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के अन्दर, उक्त इमारत सं. खाली प्लाट सं. को सुरक्षित करने और बाड़ा लगाने की सूचना देता हूं।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(*अन्य प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें।

**जो लागू न हो, उसे काट दें)।

प्ररूप संख्या - 49

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 308 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड ने, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट कार्य को (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त कार्य कहा गया है) अपने हाथ में ले लिया है, और उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड की ओर से उक्त कार्य को कर रहे अधिकारियों, कर्मचा चारिवृन्द और कर्मकारों के लिए, आपकी भूमि (यहां सामग्री की प्रवृत्ति विनिर्दिष्ट करें) अर्थात मिट्टी, बजरी आदि जमा करने के लिए उक्त संवर्ग तक पहुंचने के लिए (यहां कोई अन्य प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें) के लिए प्रवेश करना आवश्यक है,

अतः, अब मैं,.....छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 308 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, बोर्ड के अधिकारी कर्मचारिवृन्द और कर्मकार पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, तारीख (यहां तारीख विनिर्दिष्ट करें जो प्रस्तावित प्रविष्टि से तीन दिन से पूर्वोत्तर न हो) को आपकी भूमि में प्रवेश करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वामित्व/दखल के अधीन पूर्वोक्त भूमि के (यहां क्षेत्र का उल्लेख करें) भाग में बाड़ लगा लें जिससे कि बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारीवृन्द, और कर्मकारों के उक्त कार्य का निष्पादन करने में समर्थ हो सकें।

(सारणी निर्दिष्ट काम के विवरण के साथ)

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप संख्या - 50

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

की धारा 320 के अधीन सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय: छावनी बोर्ड द्वारा जारी सूचना का अनुपालन न होना।

महोदय/महोदया,

आप छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 320 के अन्तर्गत बनाए गए नियम/उपनियम (नियम/उपनियम का विवरण) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पंजीकरण सं. दिनांक की सूचना/आदेश जिसमें आपको (चूककर्ता से अपेक्षित कार्रवाई का विवरण) का निर्देश दिया गया था, अनुपालन करने मे असफल रहे हैं।

चूंकि आपके द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 320 तारीख को दाखिल की गई अपील, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आदेश सं.तारीख द्वारा खारिज की गई हैं।

अतः अब आपको छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 320 के अन्तर्गत उपर्युक्त सूचना/आदेश/मांग का इस सूचना की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उपर्युक्त कार्य बोर्ड द्वारा आपके जोखिम और खर्चे पर किया जाएगा।

(प्राधिकार: छावनी बोर्ड संकल्प सं. तारीख, यदि सूचना/आदेश/मांग बोर्ड के अनुरोध पर जारी किया गया था)।

भवदीय,

.....

छावनी बोर्ड कार्यालय

संख्या

तारीख

मुख्य अधिशासी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

[फा. सं. 14(1)/2016-डी(क्यू एण्ड सी]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2017

S.R.O. 2(E).—Whereas the following draft of certain rules relating to the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2016 was published as required under section 346 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2016), vide notification of the Government of India in the Ministry of Defence, S.R.O. 10(E), dated the 5th August, 2016, in the Gazette of India, Part-II, Section 4, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 5th August, 2016;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government, even after the expiry of a period of sixty days;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 346 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**(1) In these rules, unless the context otherwise requires**,—**

 (a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

 (b) "Form" means Form annexed to these rules.

 (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Form of notices.—**All notices required to be served on any person under the Act shall be in the Forms annexed to these rules.

4. **Manner of service of notices.—**Every notice issued under the Act to any person shall be served or presented-

 (a) by giving or tendering the notice or sending it by post, to such person;

 (b) if such person cannot be found, by affixing the notice on some conspicuous part of his last known place of abode or business, if within the cantonment, or by giving or tendering the notice to some adult member or servant of his family or by causing it to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.

5. **Application of provision of sections 316 to 321.—**The provisions of sections 316 to 321 of the Act shall apply to every notice issued under these rules.

IndiaCode

FORM No. 1

Public notice under section 76 of the Cantonments

Act, 2006 (41 of 2006)

Whereas the notice on preparation of assessment list as required under section 76 having been duly given on …….. (date) …….. It is hereby notified as required under section 76 of the Cantonments Act, 2006 that the Chief Executive Officer will commence hearing of objections from …….. date …….. (There should be at least thirty day's gap between the date of publication of notice and date of hearing).

This notice is being displayed at followings prominent places as required under section 319 of the Cantonments Act, 2006.

1 ……..

2 ……..

3 ……..

4 ……..

5 ……..

6 ……..

IndiaCode

Office of the Cantonment Board

No. ……..

Dated ……..

Chief Executive officer

……...Cantonment Board

(Seal of the Board)

FORM No. 2

Individual notice under section 76 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Subject: Revision of Assessment list-Reg.

Sir/Madam,

As required under section 76 of the Cantonments Act, 2006, notice is hereby given to you that the Chief Executive Officer has prepared a new Assessment list, public notice of which has

already been published on …….. (date) and that the assessment of your property known as …….. has been increased from Rs. …….. per annum. The revised assessment and valuation will be considered by Chief Executive Officer on ……..

2. If you have any objection to the above assessment, you should make the same in writing before …….. (date) stating in what respect the assessment is disputed.

3. Any objection received from you after …….. (date) will not be considered by the Chief Executive Officer.

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated …….

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

Details of Assessment / Valuation
1 …….
2. …….
3. …….

FORM No. 3

Notice under sub-section (2) of section 79 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it has become necessary to amend the assessment list in the following manner and on the grounds specified below:

(a) By inserting/omitting the name (s) of Shri/Smt/Km ……..… whose name ought to have been inserted/omitted in respect of the property known as …….

(b) By inserting/omitting the property known as ……. which ought to have been or ought to be inserted or omitted;

(c) By altering the assessment of property know as ……. which was erroneously valued or assessed through fraud, accident or mistake on the administration or assessee;

(d) On re-valuation/re-assessment, the value of the property know as ……. has increased over the last assessment from Rs. ……. to Rs. …….;

(e) By changing the name of the occupier from Shri ……. to Shri ……. in respect of property known as ……., where the tax in payable by the occupier;

Please take notice that if you have any objection to above amendments, you should submit your objection to the Chief Executive Officer before ……..

(The time limit stated should not be less than 30 days from the date of notice).

IndiaCode

Office of the Cantonment Board

No ……...

Dated …….

Yours sincerely,

Chief Executive officer

……...Cantonment Board

(Seal of the Board)

FORM No. 4

Notice under section 82 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

The Chief Executive Officer,

……..Cantonment Board,

…….

Sir/Madam,

I/We hereby give notice as required by section 82 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) that I/We have completed the erection/re-erection of the building/occupied the building w.e.f.

…….on the plot No. ……Situated at ……Street/Road in pursuance of sanction granted by the Board vide C.B.R. No.……. dated …… / the Chief Executive Officer, vide letter No. …… dated ……..

(The time limit for giving such notice is 30 days from the date of completion or occupation of the building, whichever is earlier).

Dated …….

Yours sincerely,

Signature ……

Name ……

Address ……..

FORM No. 5

Notice under section 86 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

The Chief Executive Officer,
……..Cantonment Board,

Subject:-Notice of vacancy of property known as …….

……..

Sir/Madam,

I/We hereby give notice under section 86 of the Cantonments Act, 2006 that the property* ……. / (portion of the property) mentioned above is lying vacant and has become unproductive of rent since ……. day of …… 20 …….

This may please be noted.

Dated …….

Yours sincerely,

Signature ……

Name ……..

Address ……..

(*Here mention the particulars of the vacant portion of property.)

FORM No. 6

Notice under section 88 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

The Chief Executive Officer,

……..Cantonment Board,

Subject: - Re-occupation of the property known as …….

……...

Sir,

I/We hereby give notice under sub-section (1) of section 88 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) that the property* ……. / (portion of the property) mentioned above has been re-occupied with effect from the ……. day of ……. 20 …….

(The time limit for giving such notice is within 15 days of such re-occupation)

Dated …….

Yours sincerely,

Signature ……

Name ……..

Address ……..

(*Here mention the portion of property.)

IndiaCode

FORM No. 7

Notice under sub-section (2) of section 91 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas the following goods/vehicle (s)/animals (s) listed below were seized from you on the ……. Day of ……. 20 ……. for non-payment of Octroi/Terminal tax/Toll amounting to Rs. ……. payable by you;

And whereas you have failed to deposit Rs. ……. towards Octroi/Terminal tax/Toll on the said goods/vehicle (s)/animal (s).

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 91 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice that the goods/vehicle (s)/animal (s) listed below shall be sold by auction on the day of ……..…. 20 ……. for recovering the amount of Rs. …… ……. due from you as Octroi/Terminal tax/Toll on accounts of the goods/vehicle (s)/animals (s) listed below.

Take further notice that in addition to the amount of Rs. …… ……..……. any expenses occasioned by seizure, custody and sale of the said goods/vehicle (s)/animals (s) shall also be recoverable from you unless the said amount and expenses, are paid by you before the commencement of sale by auction.

Yours sincerely,
Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated …….

List of goods/vehicle (s)/animal (s)

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….

FORM No. 8
Notice under sub-section (1) of section 116 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas it is necessary to have information for the purposes of ascertaining the tax liability/the amount to be assessed/the annual value of the building/land know as ……. occupied by you;

Now, therefore, I, as the Chief Executive Officer of ……. Cantonment Board, hereby call upon you to furnish the necessary information in the proforma overleaf in respect of property know as ……. within 15 days from the receipt of this notice. Failure to furnish the information within 15 days or furnishing of information which is not true to the best of your knowledge or belief will make you liable for punishment with fine which may extend to Rs. 5000/- under sub-section (2) of section 116 of the said Act and the tax liability/the amount to be assessed/the annual value of the building/land will be decided as the Chief Executive Officer may deem proper. The assessment so made shall be final.

IndiaCode

Yours sincerely,
Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated …….

Information to be furnished under section 116 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

1. House No. Road and locality.
2. Name and address of the owner.
3. Date of inheritance/purchase.
4. Price paid for the property/
5. (a) Whether *Kutcha* or *Pucca*,
 (b) Covered area.
6. Number of Storeys.

7. Number of rooms of every description in each storey, with dimension including stores, kitchen and bathrooms.

8. (a) Whether used for residential or commercial purposes;

 (b) Is the building used for running a hotel, college, school, hospital or factory? If so, please give full particulars.

9. If any portion (s) has been let out, the name (s) of tenants, the accommodation let out to each and the monthly rent.

10. Whether the house is:

 (a) Electrified.

 (b) Has a domestic water connection.

 (c) Sanitary latrines.

11. is the house assessed for state government's property tax and if so what is the assessment fixed by the Excise and Taxation officer and the date from which it is effective.

Signature of owner/occupier/tenant

FORM No. 9

Notice under clause (a) of section 136 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that:

*(1) a cesspool in you building/land # ……. is causing a nuisance and it needs closing;

*(2) The receptacle to collect filth in your building/land # ……. is not kept in a clean condition/sewage is accumulating on your land/building …….

*(3) The flowing/soaking/draining water of private latrine/urinal/sink/bathroom or any other offensive matter on your land/building # ……. is causing a nuisance to the neighbours and persons passing by;

*(4) Rubbish or offensive matter has been allowed to accumulate or remain under it/on your building/land # …….

Now, therefore, in pursuance of sub clause** ……. of clause (a) of section 136 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board hereby give you notice to close the cesspool/to keep the receptacle clean/ to rectify accumulation of sewage/to stop the flow of the daily waste water on the public land for provide a *pucca* cesspool/to remove the rubbish/to provide proper covering/repair/cleanse within ……. days of receipt of this notice.

Yours sincerely,
Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated …….

(*Strike out whichever is not necessary.
#Fill in the particulars of the building or land.
**Here mention the respective sub-clause of clause (a) of section 136)

IndiaCode

FORM No. 10

Notice under clause (b) and clause (c) of section 136 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that:

*(1) Making or altering any drain in your building/land # ……. leading into a public drain should be stopped;

*(2) the drain in your control is not clean/requires repair/to be altered/ to put in good order;

Now, therefore, in pursuance of sub clause*(b)/clause*(c) of section 136 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice to stop from making or altering the said drain leading

into a public drain*/to cleanse/purify/repair/alter/put in good order the same within ……. days of receipt of this notice.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated …….

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(#Fill in the particulars of the building or land.

*Strike out whichever is not necessary.)

IndiaCode

FORM No. 11

Notice under sub-section (1) of section 137 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Health Officer ……. Cantonment Board, the well/tank/reservoir/cistern/container/desert cooler or any other receptacle or place in your property known as# ……. where water is stored/accumulated, is creating nuisance and likely to be a breeding place for mosquitoes.

Now therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 137 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice to fill up/cover the well/cistern/reservoir/receptacle or fill up the tank or drain off or remove the water within ……. days of the receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board resolution No. …… dated ……..)

(# details of the property)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 12

Notice under clause (a) of section 138 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

IndiaCode

To

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it has been noticed that the land/building/house# …… owned/occupied by your requires to be provided with latrine/urinal/cesspool/dustbin/receptacle for filth, sewage or rubbish/additional latrine/urinal/cesspool/receptacle;

Now therefore, in pursuance of section 138 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice that the …….(here specify the requirement as to latrine/urinal/cesspool etc.) should be provided in the aforesaid land/building/house owned/occupied by you as per the specifications mentioned below.

……

(Here specify the manner in which the latrine/urinal/cesspool etc. be provided for)
……
……

(# details of the property)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 13
Notice under section 139 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

IndiaCode

To
Chief Executive Officer,
…… Cantonment Board

……

Sir/Madam,

I, as an employer of the ……..…… (here specify the name of the establishment) hereby give your notice under section 139 of the Cantonment Act, 2006 that with effect from the ……. day of ……20….. I am employing …… persons as employees in the aforesaid (name of the establishment) ……. located at ……. in the …….. Cantonment.

Yours sincerely,

Place …….
Date……...

Signature……
Name……..
Address……..
……...

FORM No. 14

Notice under section 140 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that:

*(1) The private latrine/urinal owned by you/under your control shall not hereafter be put to public use;

*(2) The private latrine/urinal proposed to be constructed/repaired by you shall not be constructed/repaired, unless it has been inspected by the Chief Executive Officer or official of the Board authorized by the Chief Executive Officer (here mention designation of inspecting official of the Board) and certified that the said latrine/urinal is in conformity with the plan approved by the ……. Cantonments Board, on the …… day of ……..20… (the copies thereof are available in the office of the Cantonment Board free of charge);

*(3) The private latrine/urinal owned by you/under your control is causing public nuisance;

*(4) The private latrine/urinal The latrine owned/controlled by you,-

(a) Is open to view of persons passing by/dwellings in the neighbourhood;

(b) Needs cleansing in the manner specified below:

(5) The drain owned/controlled by you is uncovered and requires to be covered in the manner specified below:

(Here Specify the manner of covering required).

Now, therefore, in pursuance of clause $..... of section 140 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, give you notice to take necessary steps to construct/remove/repair/shut out cleanse/cover the private latrine/urinal/drain owned by you/under your control situated in your building/land** ……. within ……. days of the receipt of this notice in the manner hereinafter specified.

……

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

(* Strike out matter whichever is not necessary.
$ Here specify the clause.
** Fill in the particulars of the building or land.)

FORM No. 15

Notice under sub-section (3) of section 142 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas on the-basis of the report of the Committee constituted under sub-section (1) of section 142 of the Cantonment Act, 2006, the …… Cantonment Board is of the opinion that the building (s) …… indicated in the table below is/are likely to cause risk of disease to the inhabitants of the building (s)/ neighbourhood/endanger the public health;

Ant whereas the board is satisfied that it is necessary to remove the said building (s) immediately;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 142 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice that the said building (s) to be removed within ……. days of the receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. …… dated ……)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

TABLE
(Here give the particulars of the building (s) in question).

IndiaCode

FORM No. 16

Notice under sub-section (1) of section 143 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board, building (s) …… …….. or part of building (s) ……. used as dwelling house is overcrowded and endangering the health of the occupants thereof.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 143 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice to reduce the number of lodgers/tenants/other inmates by *…….…….. and abate the over-crowding in the said building (s). Failing to comply with the above requisition, you will be liable to prosecution under sub-section (2) of section 143 of the said Act.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. …… dated ……)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

(*Hereafter specify the details of lodgers/tenants/other persons whose number is to be reduced)

FORM No. 17

Notice under sub-section (1) of section 144 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board, building (s) owned or occupied by you situated at ……. is in a state of dis-repair/dilapidated/in an insanitary state and required to be repaired/altered as specified below:

1……..

2……..

3……..

4……..

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 144 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the …….Cantonment Board, hereby give you notice that the execution of the aforesaid repairs/alterations should be carried out within ……. days of the receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. …… dated ……)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

FORM No. 18

Notice under sub-section (1) of section 145 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas the land/building ……..…….……. owned/ occupied by you* is in a insanitary/filthy/unwholesome state,

……* is a nuisance to persons in the neighbourhood,

……

* is overgrown with prickly-pear / rank / noisome vegetation;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 145 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice that the said land/building (s) ……..…… owned/ occupied by you should be cleansed/lime-washed internally/externally/cleared and put in a proper state within ……. days of receipt of this notice.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

IndiaCode

FORM No. 19

Notice under section 147 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

NOTICE

Every owner or occupier of this building# …… is hereby given noticed that the entire/part of the building is unfit for human habitation and he/she is prohibited to use the same until it has been rendered fit for such use to the satisfaction of ……. Cantonment Board.

(Authority: Cantonment Board Resolution No. …… dated ……)

(# here mention details of the building)

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

FORM No. 20

Notice under section 148 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

…….

…….

…….

Sir/Madam,

It is noticed that noxious vegetation/undergrowth has come up in the land/the building ……. owned or occupied by you which is injurious to health/offensive to the persons residing in the neighborhood;

Now, therefore, in pursuance of section 148 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby

give you notice to clear away and remove from the said land/building the vegetation/undergrowth within ……. days of the receipt of this notice.

Yours sincerely,

Office of the Cantonment Board
No. ……
Dated …….

Chief Executive Officer
……. Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 21

Notice under section 150 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

IndiaCode

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas it is necessary to have the following information in respect of burial/burning ground owned by you/of which you are in-charge with regard to the condition, management/ position of such ground. (Herein specify the information required)

Now, therefore, in pursuance of section 150 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby call upon you to furnish the necessary information as required above in respect of …….. ……. burial/burning ground within ……. days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 22

Notice under section 158 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it has been certified by …… medical practitioner, that the

(Name)

out break/ spread of infectious/contagious disease……

(Name of disease)

……. in the Cantonment is attributed to the milk supplied by you.

IndiaCode

Now, therefore, in pursuance of section 158 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice to furnish a full and complete list of the names and addresses of all your customers and furnish all such information to enable me to trace the persons to whom you have sold milk with in …….. days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board

No ……...

Dated ……

Chief Executive officer

……...Cantonment Board

(Seal of the Board)

FORM No. 23

Notice under section 159 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it has been certified by Health Officer, that with a view to prevent spread of infectious/contagious disease ……... …...It is

(Name of disease)

necessary to have the information regarding your customers;

IndiaCode

Now, therefore, in pursuance of section 159 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice that full and complete list of the names and addresses of all your customers with in the cantonment whose clothes and other articles you wash or have washed during the six weeks immediately preceding the date of this notice, be furnished to the Health Officer within …….. days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board

No ……...

Dated ……

Chief Executive officer

……...Cantonment Board

(Seal of the Board)

FORM No. 24

Notice under section 162 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas it has been reported by the Health Officer that the infectious or contagious disease is caused/likely to arise in the Cantonment ……...……..
……..…

*(a) from the consumption of the milk supplied from your dairy.
……..……

*(b) washing of clothes or other articles by you/process employed by you for washing of clothes or articles at ……. (Name of the place)

Now, therefore, in pursuance of clause ……. of section 162 of the Cantonment Act, 2006, as Chief Executive Officer of the …….
……..……. Cantonment Board hereby direct that until further notice, no …….

*(a) milk should be supplied to any person from your dairy.
……..……..……

*(b) Washing of clothes/articles/and process for washing clothes/articles should be undertaken by you in the manner
……..……..……
……..……..……
……..……..……
…… at…..……. (Name of the place) used by you for this purpose.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

IndiaCode

FORM No. 25

Notice under section 168 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas the Board is of the opinion that cleansing and disinfection of your building/ part of a building/removal of the flooring of the building/articles in the building, is necessary to prevent/check spread of infectious/contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of section 168 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board hereby give you notice to cleanse/disinfect the building/ part of a building/removal of the flooring/ articles in the building as specified below, within a period of …… days of the receipt of this notice.

……..……..……
……. (Herein specify the details)

(Authority Cantonment Board Resolution No …….. dated ……)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

FORM No. 26

Notice under sub-section (1) of section 169 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board, the destruction of shed/hut and the material thereof owned by you at ……. is necessary to prevent the spread of ……. infectious/contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 169 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice to destroy the aforesaid shed/hut and the materials thereof within ……. days of the receipt of this notice.

IndiaCode

(Authority Cantonment Board Resolution No …….. dated ……)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 27

Notice under sub-section (2) of section 169 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas, as the President of the Board, I am satisfied that the destructions of shed/hut at ……. *owned/occupied by you is immediately

necessary for the purpose of preventing the spread of *infectious/contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 169 of the Cantonments Act, 2006, I, as the President of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice that the said *shed/hut *owned/occupied by you shall be destroyed immediately. In case of your failure to destroy the said shed/hut, it will be destroyed by the Board within ** ……hours of the receipt of this Notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

President
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)
(**Here mention the period not less than two hours).

IndiaCode

FORM No. 28

Notice under clause (b) sub-section (1) of section 176 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas the undersigned is of the opinion that the water in *well/tank/ ……... …..……. (other place) owned by you/under your control at……..if used for drinking, will endanger/cause the spread of disease.

Now, therefore., in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 176 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the …….. …… Cantonment Board, hereby give you notice to adopt the following measures to prevent the public from using the water from the said 'well/tank/ (other place)

within ……. *hours/days from the date of receipt of this notice.

(Here mention the measures to be undertaken).

(1) …….
(2) …….
(3) …….

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
…….…...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

IndiaCode

FORM No. 29

Notice under section 177 of the

Cantonments Act, 2006(41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas it has been reported that ……. has died from ……. infectious/contagious disease.

Now, therefore, in pursuance of clause (a) / clause (b) of section 177 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice:

*(a) to convey the same to a mortuary at ……

*(b) to remove the corpse for the purpose of being *buried/burnt/conveyed to a mortuary at …….

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

FORM No. 30
Notice under sub-section (1) of section 182 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas there are sufficient reasons to believe that you are suffering from an infectious/ contagious disease;

Now, therefore, in purstiance of sub-section (1) of section 182 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Health Officer/Medical Officer-in-charge of the …….

……. Hospital of the ……... Cantonment Board, hereby give you notice to present yourself for a medical examination at …….

……. Hospital/Dispensary on date at(hrs.). You should not leave the hospital/dispensary without the permission of the Medical Officer-in-Charge.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Health Officer/
Medical Officer-in-Charge,
…….. Hospital,
(Seal)

IndiaCode

FORM No. 31

Notice under section 190 of the

Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas the ……. source (name of well etc.) of public water supply which is used for drinking purposes in ……...…… owned by you/ under your control is …….

*(a) not in good order/ not cleared of silt/ refuse/ decaying vegetation;

*(b) required to be protected from contamination in the manner specified below:-

……..……..…… ……

*(c) the water is unfit for drinking purposes;

Now, therefore, in pursuance of section 190 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice:

*(a) to *keep the aforesaid *well/water supply in good order/ clear it of * silt./ refuse/ decaying vegetation

*(b) * to protect the aforesaid *well/ water supply from contamination in the manner specified below:

……..…… …… (Here specify the manner to be adopted to prevent contamination)

*(c) that the public should be prevented from having access to using the water from the aforesaid * well/ water supply in the manner specified below:

IndiaCode

…… (Here specify the manner of prevention) within …… days of receipt of this Notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(*Strike out the matter whichever is not necessary.)

IndiaCode

FORM No. 32

Notice under section 192 of the

Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas it appears that the building/land ……. Owned/ occupied by you is without a proper supply of pure water;

Now, therefore, in pursuance of section 192 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice as the owner/ occupier that the building/ land ……... ……. should be provided with communication pipes of the size and description specified below and for obtaining sufficient quantity of water from … ……. (Here specify the source of public water supply) for the requirement of persons occupying the said building/ employed upon the said land:

……

(Here specify the particular as to size and description of the communication pipes).

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 33

Notice under clause (a) of section 195 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

The *…….Officer
……. Cantonment Board
…….

In pursuance of clause (a) of section 195 of the Cantonments Act, 2006, I, as the owner/occupier/lessee of the land/ building ……. (details of land/ building), hereby give you notice that due to pipes/ drains/other works being out of repair, there is wastage of water in/on the said land/building.

This may please be noted.

Yours sincerely

Place …….
Date……...

Signature……
Name……..
Address……..
……...

(* Designation of the Officer.)

IndiaCode

FORM No. 34

Notice under clause (c) of section 195 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….
…….
…….

Sir/Madam,

Whereas, you have—

(a) Neglected to pay the water tax/water rates** ……. charges in respect of land/building ……. owned/occupied by you and more than ……. days period has elapsed since issue of bill to you;

(b) Refused to admit/prevented the undersigned/……. officer/servant of the Board, to enter in the land/building ……. owned/occupied by you on ……. for the purpose of making an examination/ inquiry as authorized under clause (b) of section 195 of the Cantonments Act, 2006;

(c) Willfully/negligently misused/caused waste of water in the land/building ……. owned/occupied by you;

(d) Willfully/negligently injured/damaged the meter/pipe/tap conveying water from the water works to the land/building ……. owned/occupied by you;

(e) The pipes/ taps/ works/ fittings connected with the supply of water to the land/building ……. owned/occupied by you are out of repair and causing waste of water.

(** Specify the nature of charges.)

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of section 195 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the ……. Cantonment Board, hereby give you notice that the water supply to the aforesaid land/building is being turned off/disconnected within ……. days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

FORM No. 35
Notice under section 242 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To

The Chief Executive officer,
Cantonment Board,
…….
…….
…….

In pursuance of section 242 of the Cantonments Act, 2006, this is to inform you that I/We have completed erection/re-erection of the building, known as as per sanction given by the Board under Resolution No……..… dated ……/your letter No..... dated …… refers.

This may please be noted.

(This notice should be given by the party within 30 days from completion of erection/re-erection of building)

Yours sincerely

Place …….
Date……...

Signature……
Name……..
Address……..
……...

IndiaCode

FORM No. 36

Notice under sub-section (1) of section 248 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

Sir/Madam,

Whereas it is considered that the erection/re-erection of the building specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building) *owned/occupied/taken on lease by you, constitute an offence under section 247 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 248 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I as the Chief Executive Officer of the …….. Cantonment Board, hereby give you notice that the *erection/re-erection of the said building should be stopped, the *erection/re-erection completed by you should be demolished and the said building should be re-erected in the manner specified in column (4) of the said Schedule...

(*Strike out whichever is not necessary.)

SCHEDULE

Name of the Building	Location of the Building	Details of construction as undertaken by owner/ Occupier/lessee in Contravention of section 247 of the Act	Specification to demolition and re-erection of the building.
1.	2.	3.	4.

……..

(Authority: Cantonment Board Resolution No…… Dated……where the site falls outside Civil Area)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

FORM No. 37

Notice under sub-section (2) of section 248 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas the Officer Commanding-in-Chief, the Command has by his order No…….dated……..suspended the order of the Board issued under section 238 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), under which the Board has sanctioned the * erection/re-erection of the building specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building);

AND whereas it is necessary to stop the said *erection/re-erection of the said building;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 248 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the…….

…… Cantonment Board, hereby give you notice to stop the *erection/re-erection of the said building, *demolish / alter/ re-erect the said building in the manner specified in column (4) of the said Schedule.

……

(* Strike out whichever is not necessary.)

SCHEDULE

Name of the Building	Location of the Building	Details of construction undertaken by owner/occupier/lessee	Manner in which the building should be demolished / altered /re-erected as per the modifications suggested by the Officer Commanding in Chief, the Command
1	2	3	4

…….....

IndiaCode

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated ……..

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 38

Notice under section 252 of the

Cantonments At, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas you have without the permission in writing from the Chief Executive Officer has erected / constructed the following structures in your building:

(1)

(2)

(3) * (Here specify the structures of the building).

(4)

Now, therefore, in pursuance of section 252 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the……Cantonment Board, hereby give you notice that you should demolish the aforesaid ** erection/ structure/encroachment within…….. days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

(*Projecting into/encroaching on the street/channel/drain/well/tank

** Strike out whichever is not necessary)

FORM No. 39

Notice under section 253 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas, you have without the permission of the undersigned in writing erected/re-erected a structure over(Name of the public sewer/drain/culvert/ water course or water pipe)……..in……..;

Now, therefore, in pursuance of section 253 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the……..Cantonment Board, hereby give you notice to

pull down the same withindays of the receipt of this notice failing which it shall be removed by the undersigned at your risk and cost.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board

No ……...

Dated……...

Chief Executive officer

……...Cantonment Board

(Seal of the Board)

IndiaCode

FORM No. 40

Notice under section 254 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that—

*(a)the troughs and pipes for receiving and carrying rain water from the building ……land……..*owned/occupied by you are not in good condition;

*(b) there is no proper connection/communication between the building……/ land …… *owned / occupied by you and the …… drain/sewer (specify the drain /sewer)

Now, therefore, in pursuance of section 254 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the…… Cantonment Board hereby give you notice that the troughs and pipes should be kept in good condition and to ensure sufficient

drainage from the said building/land the following work should be undertaken by you within……days of the receipt of this notice:

1. …….
2. …….
3. …….

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(* Strike out the matter whichever is not necessary)

IndiaCode

FORM No. 41

Notice under sub-section (2) of section 261 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it is brought to the notice of the undersigned that —

*(a) The boundary * wall/ hedge/ fence in the land…… * owned/ occupied by you is * unsuitable/ unsightly/ objectionable;

…….

*(b) It is necessary to construct on the land……*owned/occupied by you, the boundary * wall/hedge/ fence of the material, description/ dimensions specified below;

……..

*(c) It is necessary to maintain the boundary * wall/ hedge/ fence on the land…….*owned/ occupied by you in good order;

Now , therefore, in pursuance of sub- section(2) of section 261 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the……Cantonment Board hereby give you notice that—

(a) The boundary wall/ hedge/ fence on the aforesaid land be removed;

*(b) The boundary * wall/ hedge/ fence of the material, description/ dimensions specified below be constructed on the aforesaid land

……...
(Here give the specifications as to material, description or dimensions);

…….

*(c) The boundary * wall/ hedge/ fence on the aforesaid land be maintained in good order within…….days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

(Strike out the matter whichever is not necessary.)

IndiaCode

FORM No. 42

Notice under section 262 of the

Cantonment Act, 2006 (41 01 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas the Board is of the opinion that it is necessary to fell/lop/trim the tree(s) standing on land ……owned / occupied by you on account of…… …….. (Here mention the reasons);

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) / sub-section (2) of section 262 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the …… …….Cantonment Board, hereby give you notice that the tree (s) standing on your land should be felled/lopped/ trimmed within …… days of receipt of this notice.

(Authority: Cantonment Board Resolution No…….....dated.....)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 43

Notice under section 264 of the

Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the undersigned the working of a quarry/ the removal of stone/ earth/……. (Here specify the removal of other material from the soil) at ……owned/ occupied by you is dangerous to the persons residing in/ frequenting the neighborhood and creates/likely to create nuisance;

Now, therefore, in pursuance of sub- section(1) of section 264 of the Cantonments Act,2006,I, as the Chief Executive Officer of the……Cantonment Board, hereby give you notice that the following steps should be taken by you to prevent danger/ abating, nuisance arising/likely to arise…… at owned/ occupied by you:—

……...

(Herein specify the steps to be taken)

……...

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 44

Notice under section 280 of the

Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas the Board is satisfied that the use of place known as

.....owned / occupied by you for the purpose of under licence granted by the Board is a nuisance/ likely to be dangerous to life/ health/ property;

Now , therefore, in pursuance of section 280 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the…….. Cantonment Board, hereby give you notice that the use of the aforesaid place should be discontinued with effect from the day …….. of…….20……./to effect the following alterations/ additions/ improvements by the……..day of……20…….to render it free from any nuisance/ danger.

.....

(Here give details of alterations, additions and improvements to be undertaken).

(Authority: Cantonment Board Resolution No.…….dated ……..)

IndiaCode

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM No. 45

Notice under sub-section (1) of section 292

of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas by public Notice date……. it was directed by the Chief Executive Officer that the roofs and external walls of huts/buildings shall not, without the permission in writing of the Chief Executive Officer, be made or renewed with grass, mats leaves or other inflammable materials in the……. Area of the Cantonment; and

Whereas you have renewed the roof/wall (s) of your hut/building with grass/mats/leaves,

inflammable material, without the permission from the Chief Executive Officer in writing.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 292 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the…….. Cantonment Board, hereby give you notice that the roof/walls of your hut/building be removed within 15 days from the date of receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board

FORM No. 46

Notice under sub-section (2) of section 292

of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

IndiaCode

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas the external *walls/roof(s) of your *hut/building is made of grass/mats/leaves…… inflammable materials *with/Without the sanction of the Chief Executive Officer;

And whereas the Chief Executive Officer is of the opinion that the external walls/roof (s) of your hut/building should be removed being made of an inflammable Material;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 292 the Cantonments Act, 2006, as the Chief Executive Officer of the…….Cantonment Board, hereby give you notice that the external walls/roof (s) of your hut/building be removed with in **…….. days from the date of receipt of this notice.

You are further informed that the compensation of Rs…….towards the

original cost of the said material has been awarded to you and the same may be collected from the office of the Board within**…….Days.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board

(*Strike out the matter whichever is not necessary.

**Here give the reasonable period for compliance).

FORM No. 47

Notice under section 297 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

IndiaCode

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Chief Executive Officer of……Cantonment Board your building/wall/well/tank/reservoir/pool/depression/excavation/bank/tree (described in the Table attached herewith) owned/partly owned/occupied by you is in ruinous, state and is a nuisance/dangerous to persons/passingby/dwelling/ working in the neighbourhood**.

Now, therefore, in pursuance of section 297 of the Cantonments Act 2006, I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that ***……..removed/repaired/protected/enclose within …….days from the date of receipt of this notice, failing which, the said work shall be undertaken by the undersigned at your risk and cost.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board

(*In case of tenant the word 'your' shall be deleted.

** Strike out whichever is not applicable.

***Herein specify the action required on part of owner/tenant).

FORM No. 48

Notice under section 298 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that your building No……. / Vacant plot No…… has by reason of disuse/disputed ownership/ ……..... has remained unoccupied and has become the resort of idle and disorderly person/persons who have no ostensible means of subsistence/persons who cannot give a satisfactory account of themselves/is used for gaming/immoral purposes or for……. (other purpose)*…… ……. and/or is likely to occasion a nuisance. **

IndiaCode

Now, therefore, in pursuance of section 298 of Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the……..Cantonment Board, hereby give you notice to secure and enclose the said building No ……./Vacant Plot No ……within……..days of the receipt of this notice.

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board

(*Herein specify the other purpose.
**Strike out whichever is not applicable.)

FORM No. 49

Notice under section 308 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Whereas the Board has undertaken the work specified in the table below (hereafter referred to as the said work) and for that purpose, it is necessary for the officers, staff and the workmen executing the said work on behalf of the Board to enter on your land ……. for the purpose of depositing thereon …… ……

(Here specify the nature of materials such as soil, gravel etc.)

or of obtaining access to the said work.....

(Here specify any other purpose).

Now, therefore, in pursuance of section 308 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the……. Cantonment Board, hereby give you notice that the officers, staff and the workmen of the Board shall enter into your land for the purpose aforesaid on the……

(Here specify the date not earlier than three days from the date of proposed entry)

…… day of…… 20……

and request you to fence off the aforesaid land……...

(Here mention the area)

owned /occupied by you so as to enable the officers, staff and workmen of the Board to execute the said work.

(Table with details of work specified)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

IndiaCode

FORM No. 50

Notice under section 320 of the

Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,

…….

…….

Sir/Madam,

Subject: Non-compliance of Notice issued by……..Cantonment Board

Sir/Madarn,

Whereas you have failed to comply with the term(s) of this office Notice / Order / Requisition No…….dated ……., issued to you under section…….of the cantonments Act, 2006/ rule / bye-law made thereunder (details of rule / byelaw) directing you to …….(details of actions required to be taken by the person in default)

* As whereas the appeal under section 340 of the Cantonments Act, 2006 filed by you on ……(date) has been dismissed by the Appellate Authority (name the authority) vide order No……. dated……..

Now, therefore, you are hereby directed under section 320 of the Cantonments act, 2006 to comply with the terms of the above notice/order/requisition within 10 days from the date of receipt of this notice, failing which the above mentioned action or work shall be completed by the Board at your risk or cost.

(Authority: Cantonment Board Resolution No ……dated……., if the notice/order/requisition was issued at the instance of the Board)

(*Strike-out, if not applicable)

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board
No ……...
Dated……...

Chief Executive officer
……...Cantonment Board
(Seal of the Board)

[F. No. 14(1)/2016-D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.25 11:48:14 +05'30'